न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 42/2021

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिए पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत आमथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्रीमती रतनकुवर पत्नि श्री रणजीतसिंह राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से
2. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 25.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 05.06.2003 क्षेत्रफल 600 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा जारी किए है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो की पुश्तैनी [illegible] राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्त[illegible]रूद्ध विक्रय विलेख जारी किया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या [illegible] कारोली से लगभग 05 किलोमीटर दूर ग्राम आमथला में 50 [illegible] मकान मानते हुए अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को लाभ दे[illegible] की नियत से पंचायती[illegible] नियमों की अनदेखी करते हुए दूषित कार्यवाही कर दस्त[illegible] तैयार कर ग्राम पं[illegible]को हानि पहुंचाकर उक्त विक्रय विलेख जारी किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 39 दिनांक 05.06.2003 क्षेत्रफल 600 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है यह है कि पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो की पुश्तैनी कृषि भूमि प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि से लगते हुए थी, जो मॉर्डन इंसुलेटर कम्पनी के लिए अवाप्त की गई एवं कृषि भूमि पर कृषि कार्य व देखरेख हेतु ही 70–80 वर्षो से भी पूर्व अप्रार्थी संख्या दो के पूर्वरसाधिकारियों द्वारा केलुपोश मकान बनाए गए थे, जो बाद में पक्के निर्मित किए गए। उक्त मकान व भूमि का नाप 80 गुणा 110 फीट था जिसका विभाजन दिनांक 25.08.1979 को श्री भूरसिंहजी ने अपने चारों पुत्रों के मध्य किया था, जिसमें अप्रार्थी संख्या दो को 30 गुणा 75 फीट भूमि प्राप्त हुई। यह है कि नियमों की पालना करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या एक का था एवं अप्रार्थी संख्या दो की जानकारी में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गई है, उसमें कोई अनियमितता नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में कब्जेशुदा पुराने पुश्तैनी कब्जे भूमि का विक्रय किया गया है, नियमों की पालना अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किया जाना था, जिसमे अप्रार्थी संख्या दो से कोई कृत्य अपेक्षित नही था। अतः नियमों की अनुपालना करने वाले अधिकारी द्वारा किए गए कार्य व लोप का प्रभाव अप्रार्थी संख्या दो के हक में हुए अन्तरण की वैधता पर नहीं पडता है। यह है कि विवादित विनियमितीकरण पट्टे वाले मकान 50 वर्ष से भी अधिक समय से पुराने पुश्तैनी बने हुए है एवं अप्रार्थी संख्या दो अपने पिता से पृथक उक्त मकान में निवासरत है, जिस पर नियमानुसार निर्माण अनुमति प्रदान की गई थी। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने लाखों रूपए खर्च कर भूमि सुधार में व निर्माण में व्यय किया है, यदि अप्रार्थी के विक्रय विलेख को वैध होते हुए भी निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी। यह है कि प्रार्थी निगरानी के माध्यम से अपील निर्णित करवाना चाहता है, जबकि निगरानी व अपील की सुनवाई व आपत्ति हेतु पृथक व सीमित अधिकार प्रदान किए गए है। यह है कि प्रार्थी ने निगरानी में जो आधार लिए है वे अपील में ही उठाए जा सकते है। विधि में अपील की व्याप्ति व निगरानी की व्याप्ति में भारी भिन्नता है। यह है कि प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का 50 वर्ष पुराना पुश्तैनी मकान बना हुआ है, जो उनके पूर्वजों ने बनवाया था, उस वक्त वह क्षेत्र जंगल था एवं कृषि भूमि था तथा मॉर्डन इन्सुलेटर संस्थान अस्तित्व में ही नहीं था। यह है कि प्रार्थी को 50 वर्ष पूर्व की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर कीमतों को देखना है, तत्समय वह क्षेत्र अविकसित था। यह है कि पुराने मकानों का वि[illegible] वसूल कर किए जाने का पंचायतीराज नियमों में स्पष्ट प्रावधान है। [illegible] से निवेदन है कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज कि[illegible]के द्वारा विधिक दृष्टांत 1990 RRD 347, 1982 RL[illegible] RLW 268 para(c), Sec. 115 C.P.C. 1984 RRD 692 para 10, 1997 DNJ {Raj.} [illegible]1, 1997(3) RLW 1567 para 45,46, 1997 SAR 783 {Sc}, 1999(3) RLW 1390 pa[illegible]5, 1994 RRD 568, 2001(1)RLW 89, 1991 RRD 148, 1999 WLC {UC} 264 प्रस्तुत किए।

Bhallo
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत 251/– की राशि लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्व ग्राम कारोली का मूल निवासी है, जहां पर इनके समस्त सरकारी दस्तावेज, निर्माचक नामावली में नाम आदि अंकित है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित मकान का पट्टा नियम 157(1) में जारी किया गया है एवं नियम 157(1) के तहत आबादी भूमि में पुराने गृहों पर कब्जा होने पर पट्टा जारी करने का प्रावधान है अर्थात कब्जा होना आवश्यक है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो अप्रार्थी संख्या दो का मकान वर्षों पूर्व का बना होने का साबित करता हो, केवल मात्र बयानों के आधार पर पुराना मकान का पट्टा जारी किया गया है। यह है कि नियम 157(1) में पुराने मकान के स्थान पर नवनिर्मित मकान निर्मित करने का हवाला दिया गया है, जबकि पुराने मकान के जर्जर होने का कोई रिकॉर्ड या स्वीकृति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि अप्रार्थी संख्या दो का उक्त विवादित पट्टे के भूखण्ड पर वर्षों पुराना कब्जा हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मिसल पत्रावली में संलग्न नक्शे में नक्शा तैयार करने वाले सचिव के हस्ताक्षरों का अभाव पाया गया, जिससे उक्त नक्शे की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि किसी भी सरकारी दस्तावेज की बिना हस्ताक्षर के कोई उपयोगिता नहीं रहती है। यह है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 146 में अंकित प्रावधानों के अनुसार आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र में पंच कमेटी द्वारा बिन्दु संख्या च में अपनी कोई रिपोर्ट अंकित नहीं की गई है और न ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक अंकित की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि [illegible] मौका देखे बिना केवल मात्र खानापूर्ति की गई है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत आमथला द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 146 की पालना नहीं की गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत [illegible] के फोटोग्राफ का नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त फोटोग्राफ विवादित पट्टा से संबंधित भूखण्ड के ही है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 1990

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

...। कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

RRD 347, 1982 RLW 371 para(c), 1983 RLW 268 para(c), Sec. 115 C.P.C. 1984 RRD 692 para 10, 1997 DNJ {Raj.} 751, 1997(3) RLW 1567 para 45,46, 1997 SAR 783 {Sc}, 1999(3) RLW 1390 para 5, 1994 RRD 568, 2001(1)RLW 89, 1991 RRD 148, 1999 WLC {UC} 264 का अवलोकन करने पर यह न्यायालय उक्त विवादित पट्टा संख्या 39 दिनांक 05.06.2003 को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 05.06.2003 क्षेत्रफल 600 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner